


07.04.2025:-पत्रावली आज वादी कुलविन्द्र जरिय अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा प्रस्तुत करने पर पत्रावली को पेशी मे लिया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी अपने वाद पत्र मे आगे कोई कार्यवाही नही करना चाहते इसलिए आज ही पेशी मे लिया जाकर वादपत्र विद्धा करना चाहता है। वादी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी अधिवक्ता का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर स्वीकार किया जाकर वादी वादपत्र वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।


विभागाध्यक्ष वकालत
श्री आर्यभट्टाधिवक्ता
दुबई

